न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 -86 / 2019(2019 / 00328)

अनवान : -

1. आशीष चौधरी पुत्र श्री कृष्णकुमार जाति जाट निवारी बेर तहसील भादरा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. कनिता पत्नी कृष्णकुमार जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।
3. साहिल पुत्र कृष्णकुमार जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा।

अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- श्री संदीप गोदारा प्रार्थी
पेरोकार राज अप्रार्थी सं01
रामजस गढवाल अप्रार्थी सं02,03

निर्णय दिनांक : 20/10/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक न0 4 जेएसएल के खाता सं 48 / 52 के मु0 न0 15, 16 की कुल 3.795है0 में प्रार्थी का 2 / 18 हिस्सा व इसी प्रकार चक 6 सीएचएन के खाता सं 29 / 25 के मु0 न0 51, 60 की कुल 1.265है0 नहरी खातेदारी में प्रार्थी का 2 / 18 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम आशु पुत्र कृष्णकुमार दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम आशीष चौधरी है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, अंकतालिका, पैन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज आशीष चौधरी नाम से ही है। प्रार्थी का सभी दस्तावेजों में नाम आशीष चौधरी पुत्र कृष्णकुमार ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम आशु पुत्र कृष्णकुमार की जगह आशीष चौधरी पुत्र कृष्णकुमार करवा पाने का कानूनी अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी पैरोकार राज अप्रार्थी सं 2 व 3 ने जबाबदावा पेश किया। अप्रार्थी सं 2 व 3 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उक्त नाम में संशोधन पर अनापत्ति जाहिर की।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य प्रार्थी में आशीष चौधरी पुत्र कृष्णकुमार निवासी बेर तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमांबदी ग्राम चक 4 जेएसएल सवंत 2072–75 खाता सं 48/52 प्रदर्श 1 ग्राम पंचायत छानीबड़ी प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 3 तथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र, प्रार्थी ने रोही मौजा चक न0 4 जेएसएल के खाता सं 48/52 के मु0 न0 15, 16 की कुल 3.795है0 में प्रार्थी का 2/18 हिस्सा व इसी प्रकार चक 6 सीएचएन के खाता सं 29/25 के मु0 न0 51, 60 की कुल 1.265है0 नहरी खातेदारी में प्रार्थी का 2/18 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय संवहन से आशीष चौधरी की जगह आशु पुत्र कृष्णकुमार दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम आशीष चौधरी पुत्र कृष्णकुमार है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो आशीष चौधरी पुत्र कृष्णकुमार नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक न0 4 जेएसएल के खाता सं 48/52 के मु0 न0 15, 16 की कुल 3.795है0 में प्रार्थी का 2/18 हिस्सा व इसी प्रकार चक 6 सीएचएन के खाता सं 29/25 के मु0 न0 51, 60 की कुल 1.265है0 नहरी खातेदारी में प्रार्थी का 2/18 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें प्रार्थी का सही नाम **आशु पुत्र कृष्णकुमार की जगह आशीष चौधरी पुत्र कृष्णकुमार** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच आशु के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में आशु के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी आशु नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 16:32:39 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (संजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ